

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/7491-यू/2019/

दिनांक

आदेश

श्री रफीक मोहम्मद, वरिष्ठ राहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भीण्डर उदयपुर को दिनांक 31 07 2019 से 11 09.2019 तक (43 दिवरा) विदेश यात्रा (गक्का, मदीना) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर एतद द्वारा प्रदान की जाती है

- 1 कार्मिक विदेश जाने से पूर्व राक्षम रत्तर से वाछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगे तथा स्वीकृत अवकाश मे किररी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किररी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- 3 अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी झ्यटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किररी प्रकार का रोजगार एव नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- 5 विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एव स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 6 राष्ट्र विरोधी गतिविधि मे सम्मिलित नहीं होंगे।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार की आई डी क्रमांक 1451 दिनांक 01 08 2019 के अनुसरण मे जारी की जा रही है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 09/8/19

क्रमांक -- ई-18/एम/7491-यू/2019/1745

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि भविष्य मे विदेश यात्रा पर जाने के प्रस्ताव 21 दिवस पूर्व निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भीण्डर, उदयपुर।
- 3 श्री रफीक मोहम्मद, वरिष्ठ राहायक को सूचनार्थ।
- 4 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 आदेश/निजी पत्रावली।

7

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर